

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी: जगदीश आर्य, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं०— 37/2019
प्रतिदि दिनांक— 05.04.2019

उनवानी

रामजीलाल पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम हयातपुरा, तहसील व जिला टोंक
— वादी

बनाम

1. रताराम पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासीग्राम ग्राम हयातपुरा, तहसील व जिला टोंक
2. खुशीराम पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासीग्राम ग्राम हयातपुरा, तहसील व जिला टोंक
3. राम बाई पुत्री रामदेव जाति बैरवा निवासीग्राम ग्राम हयातपुरा, तहसील व जिला टोंक
4. ममता पुत्री रामदेव जाति बैरवा निवासीग्राम ग्राम हयातपुरा, तहसील व जिला टोंक
5. गू गोस्वामी बेवा रामदेव जाति बैरवा निवासीग्राम ग्राम हयातपुरा, तहसील व जिला टोंक
6. भोजीराम पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासीग्राम ग्राम हयातपुरा, तहसील व जिला टोंक
7. तहसीलदार टोंक तहसील टोंक

— प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री शीताराम विजय अधिवक्ता वादीगण

दावा उद्घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

दिनांक— 28/6/2019

वादपत्र यह है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 25 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 26 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 30 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 100 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 146 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 208 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 214 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 215 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 216 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 217 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 223 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 225 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 228 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 250 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 272 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 281 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, कुल किता-20, कुल रकबा 42 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम हयातपुरा, पटवार हल्का अरनियांकेदार, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हथौना, तहसील टोंक में स्थित है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या-1 ता 6 की खातेदारी में अंकित है। प्रतिवादी संख्या-06 के नाम का व्यक्ति ग्राम हयातपुरा में नहीं है। बल्कि वादी के नाम को भोजीराम लिखकर राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित किया गया है। वादी के पिता रामदेव के फौत होने के पश्चात उक्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या-1 ता 6 की खातेदारी में जरिये नामान्तरण संख्या-66 दिनांक 18.05.1993 से दर्ज हुई है और उक्त नामान्तरण में वादी का नाम नहीं लिखकर उसके स्थान पर भोजीराम प्रतिवादी संख्या-6 का नाम अंकित कर दिया गया है। जबकि भोजीरामपुत्र रामदेव नाम का व्यक्ति ग्राम

अयातपुरा में नहीं है। उक्त नामान्तरण संख्या-86 वादी के हितों के प्रति शून्य है तथा वादी का नाम राजीलाल के स्थान पर मोजीराम लिखा गया है। वह वादी को बिना सूचना दिए गए लिखा गया है तथा नामान्तरण स्वीकृत करने से पूर्व वादी को नहीं सूचना दी है। इस कारण उक्त नामान्तरण वादी के हितों के प्रति शून्य है। उक्त त्रुटि को संशोधित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में मोजीराम के स्थान पर वादी रामजीलाल का नाम अंकित किया जावे तथा मोजीराम के स्थान पर वादी रामजीलाल को उक्त भूमि का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावे। तहसीलदार टोंक दावा उद्घोषणा होने से औपचारिक पक्षकार बनाए गए हैं। किंतु उनके विरुद्ध कोई अनुरोध नहीं करा गया है। दावा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या-1 ता 6 बाबत उद्घोषणा शिक्की किया जाकर वादपत्र के चरण संख्या-1 व 2 में अंकित आराजीयात भूमि आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 25 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 26 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 30 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 100 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 146 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 214 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 214 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 215 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 216 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 217 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 222 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 223 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 225 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 228 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 250 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 272 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 281 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, कुल किता-20 कुल रकबा 42 बीघा 8 बिस्वा बाके ग्राम हयातपुरा, पटवार हल्का अरनियारकेदार, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हथौना, तहसील टोंक एवं भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 0.04 खसरा नम्बर 144 रकबा 0.05, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.07, कुल किता-3 कुल रकबा 18 बिस्वा बाके ग्राम हयातपुरा, तहसील टोंक में प्रतिवादी संख्या-6 मोजीराम पुत्र रामदेव के स्थान पर वादी रामजीलाल पुत्र रामदेव को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या-6 मोजीराम पुत्र रामदेव के स्थान पर वादी रामजीलाल पुत्र रामदेव किया जावे।

वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिए दस्तावेजात नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम हयातपुरा खाता संख्या-11 जमाबन्दी संवत 2053-56 ग्राम हयातपुरा खाता संख्या-9, जमाबन्दी संवत 2049-52 ग्राम हयातपुरा, वाटरआईडी, आधारकार्ड, अंकतालिका कक्षा-8, भामाशाहकार्ड, राशनकार्ड, नामान्तरण संख्या-86 आदि पेश किये।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने वादी के वादपत्र के पक्ष में इकबालिया जवाब दावा पेश किया। तत्पश्चात पटवारी हल्का से

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज०)


मीका रिपोर्ट तलब की गयी।

वकील वादीगण की एक तरफा बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपरिथत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह सिद्ध होता है कि वादी के पिता के फोती का नामांतरण खोलते समय सहवन से वादी का नाम रामजीलाल के स्थान पर मोजीराम अंकित हो गया। इस प्रकार राजस्व कर्मियों की लिपिकीय त्रुटि से उक्त इन्द्राज हो गया है जो दुरुस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी भूमि आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 25 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 26 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 30 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 100 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 146 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 208 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 214 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 215 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 216 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 217 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 222 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 223 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 225 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 228 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 250 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 272 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 281 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, कुल किता-20 कुल रकबा 42 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम हयातपुरा, पटवार हल्का अरनियांकेदार, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हथौना, तहसील टोंक एवं भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 0.04 खसरा नम्बर 144 रकबा 0.05, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.07, कुल किता-3 कुल रकबा 16 बिस्वा वाके ग्राम हयातपुरा, तहसील टोंक में वादी का नाम मोजीराम के स्थान पर रामजीलाल किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार टोंक उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर पालना से न्यायालय को अवगत करावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28/6/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

मुकाम टोंक व अलजाम श्री जगदीश आर्य, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित
उनवान

रामजीलाल पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम हयातपुरा, तहसील व जिला टोंक

- वादी

बनाम

1. रतिराम पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासीयान ग्राम हयातपुरा, तहसील व जिला टोंक
2. खुशीराम पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासीयान ग्राम हयातपुरा, तहसील व जिला टोंक
3. राम बाई पुत्री रामदेव जाति बैरवा निवासीयान ग्राम हयातपुरा, तहसील व जिला टोंक
4. ममता पुत्री रामदेव जाति बैरवा निवासीयान ग्राम हयातपुरा, तहसील व जिला टोंक
5. मु0 गोरधनी वेवा रामदेव जाति बैरवा निवासीयान ग्राम हयातपुरा, तहसील व जिला टोंक
6. मौजीराम पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासीयान ग्राम हयातपुरा, तहसील व जिला टोंक
7. तहसीलदार टोंक तहसील टोंक

- प्रतिवादीगण

उपस्थित- श्री सीताराम विजय अधिवक्ता वादीगण

दावा उद्घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज

दावा नं0 37/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी भूमि आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 25 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 26 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 30 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 100 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 146 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 208 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 214 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 215 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 216 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 217 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 222 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 223 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 225 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 228 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 250 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 272 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 281 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, कुल किता-20 कुल रकबा 42 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम हयातपुरा, पटवार हल्का अरनियांकेदार, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हथौना, तहसील टोंक एवं भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 0.04 खसरा नम्बर 144 रकबा 0.05, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.07, कुल किता-3 कुल रकबा 16 बिस्वा वाके ग्राम हयातपुरा, तहसील टोंक में वादी का नाम मौजीराम के स्थान पर रामजीलाल किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार टोंक उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ति कर पालना से न्यायालय को अवगत करावे।

वसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 28.11.19 को जारी किया गया।

मोहर


(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अजी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीशान			स्टाम्प अजी दावा स्टाम्प वकालत नामा महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मिजान		

नोट:- इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।